"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 592] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 नवम्बर 2014—— कार्तिक 22, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-10/2014/1-7. — दिनांक 08-11-2014 को जिला बिलासपुर के संकरी तथा दिनांक 10-11-2014 को गौरेला, पेण्ड्रा व मरवाही में दूरबीन पद्धति से महिलाओं के नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था. आपरेशन के पश्चात् अनेक महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो जाने के फलस्वरूप 13 महिलाओं की मृत्यु हो गई एवं अनेक अन्य महिलाएं गंभीर स्थिति में जिला बिलासपुर के विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती हैं.

लोक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन की राय है कि इस घटना से सार्वजनिक महत्व की निम्नलिखित विषयों की जांच के प्रयोजन के लिये एक न्यायिक जांच आयोग गठित करना आवश्यक है, अर्थात् :-

1. क्या उक्त शिविर आयोजित करने में मानक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ?
2. उक्त घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई ?
3. क्या शिविरों में मानक दवाईयों का उपयोग किया गया ?
4. उक्त घटना के लिये कौन-कौन दोषी हैं ?
5. भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं ?
6. प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रमों में लैंगिक समानता (Gender Equity) हेतु सुझाव.
7. जांच के दौरान अन्य लोक महत्व के बिंदु जिनकी जांच करना आयोग आवश्यक समझे ?

2. जांच आयोग अधिनियम (1952 की संख्या 60) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उपरोक्त लोक महत्व की विशेष जांच हेतु एक जांच आयोग गठित करता है, जिसकी एकल सदस्य के रूप में श्रीमती अनिता झा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है.

3. आयोग अपनी जांच इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर पूरी करेगा तथा शासन को रिपोर्ट सौंपेगा.

जांच के दौरान आयोग तकनीकी विषय/बिन्दुओं पर किसी संस्था/विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.